समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.com

बिहार सरकार

मो0 नं0– 8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1462/खाद्य दिनांक 23.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति एवं वैश्विक महामारी को ध्यान रखते हुए जनता के हित में बाजार में आवश्यक वस्तुओं की निगरानी एवं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में निम्नलिखित आदेश दिया जाता है :–

1. जिला में स्थानीय थोक विक्रेताओं/व्यापारी संघ के पदाधिकारियों, ई0–कॉमर्स के प्रतिनिधि, ऑनलाईन डिलेवरी करने वाले कम्पनी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर खाद्यान्न, खाद्य तेल, दाल, चीनी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय। ई0–कामर्स के माध्यम से ऑनलाईन आर्डर के उपरान्त डिलेवरी करने वाले कर्मचारियों को भी आवश्यक वस्तु/अन्य सामान डिलेवरी करने के पूर्व Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखने हेतु आवश्यक निदेश दिया जाता है (अनुपालन :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्स्र/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर)।
2. आवश्यक वस्तुओं यथा– गेहूँ और गेहूँ उत्पाद, चावल, चना, आटा (गेहूँ, चावल एवं चना का) मकई दलहन, दाल, नमक, गुड़, चीनी सभी प्रकार के खाद्य तेल एवं वनस्पति बेबी फुड, सोडा ऐश आदि के थोक/खुदरा विक्रेताओं द्वारा भण्डार में उपलब्धता (खुदरा विक्रेताओं के लिए 'हॉ' या 'नही' में) तथा इसके मूल्य का प्रदर्शन किया जाना है ताकि जनता को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी होने के साथ–साथ मूल्य की भी जानकारी हो (अनुपालनः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर)।
3. भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में 25 आवश्यक वस्तुओं (चावल, गेहूँ, गेहूँ का आटा, चना दाल, तुर/अरहर दाल, उड़द दाल, मुंग दाल, मसूर दाल, चीनी, दूध, ग्राउंड नट ऑयल, सरसों तेल, वनस्पति तेल, सोया तेल, सूर्यमुखी तेल, पाम ऑयल, गुड़, चाय, नमक, आलू, प्याज, टमाटर, मास्क, सेनेटाइजर एवं हैंडवाश) का दैनिक बाजार भाव के मूल्य का अनुश्रवण करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय (अनुपालनः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर)।
4. जिला में एल0पी0जी0/पेट्रोल/डीजल को निर्धारित दर एवं मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु जिला के आई0ओ0सी0एल0, एच0पी0सी0एल0 एवं बी0पी0सी0एल0 के पदाधिकारियों के साथ बैठक

कर एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं के घर में ले जाने के पूर्व डिलेवरी ब्यॉय एवं उनके वाहन को Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखते हुए उपभोक्ताओं को दिया जाय (अनुपालनः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर/सभी प्रो0/प्रबंधक, एल0पी0जी0 गैस एजेन्सी, पेट्रोल पम्प एजेन्सी एवं किरासन तेल थोक विक्रेता, जिला बक्सर)।

5. पेट्रोल पम्पों पर भी Proper Hygiene and Sanitation को बनाये रखने हेतु आवश्यक निदेश दिये जाये। पेट्रोल पम्प पर आने वाले उपभोक्ताओं तथा नोट लेने वाले कर्मचारियों को भी हैंड सेनिटाइजर एवं मास्क का प्रयोग करने हेतु निदेश दिया जाय (अनुपालनः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर/सभी प्रो0/प्रबंधक, पेट्रोल पम्प एजेन्सी, जिला बक्सर)।

6. केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 2क की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स (कोविड 19 प्रबंधन के लिए) को विनियमित करने के लिए आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 अधिसूचित किया गया है जिसमें "मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर"को जोड़ा गया है। इस संबंध में मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण लॉजिस्टिक (कोविड 19 प्रबंधक के लिए) के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है (अनुपालनः– सिविल सर्जन, बक्सर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर)।

अतः निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित/अधिसूचित प्रावधानों के आलोक में सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि उक्त प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जा सके।

25/3/20
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर
25/3/20

उप विकास आयुक्त
बक्सर
25/03/2020

जिला पदाधिकारी
बक्सर।
27/3/2020

ज्ञापांक 04–27 मु0 दिनांक 27/03/2020

प्रतिलिपि :– चेम्बर ऑफ कॉमर्श, बक्सर/बक्सर व्यवसायी संघ/अन्य सभी थोक एवं खुदरा व्यवसायी संघ, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– फेयर प्राईस डीलर्स एसोशिएसन, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, रेडक्रॉस सोसाइटी, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–	सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड पंचायतीराज पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	सभी प्रबंधक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	सभी प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अचंलाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	सभी प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर / जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर / जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	उप विकास आयुक्त–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :–	पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/3/20
जिला आपूर्ति पदाधिकारी
बक्सर
25/3/20

उप विकास आयुक्त
बक्सर

जिला पदाधिकारी
बक्सर।